अनुलग्नक-5

BinaExtn. Project 21.61 Ha Forest land in U.P.
Stage -II Clearance 8-B/U.P./05/11/2004/FC, dtd: 01.06.2006
MoEF Conditions & its compliance

क्र.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही किया जाएगा ।
2.	वन विभाग द्वारा लीज़ धारक के व्यय पर 43.22 है. अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव किया जायेगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रुपये 1805645.00 दिनांक 28.09.2005 को जमा कर दिया गया है।
3.	लीज़धारकों के व्यय पर खनन लीज क्षेत्र का सीमांकन आर.सी.सी. खंभों द्वारा किया जाएगा जिसपर क्रम संख्या, बियरिंग तथा निकटतम खभों से दूरी अंकित की जाएगी।	सीमांकन एवं आर.सी.सी. पिलर का खर्च रुपये 18493.00 वन विभाग को दिया जा चुका है।
4.	सुरक्षा ज़ोन की देख-रेख व संरक्षा की जाएगी तथा सुरक्षा ज़ोन क्षेत्र के डेढ़ गुने अवनत वन क्षेत्र में लीज़ धारकों के व्यय पर वन विभाग द्वारा अन्यत्र वृक्षारोपण किया जाएगा ।	सुरक्षा जोन में डेढ़ गुणे क्षेत्र का अवनत क्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रुपये 92747.00 वर्ष 2006 में दे दिया गया है।
5.	वन क्षेत्र में खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार ही किया जाएगा तथा लीजधारकों द्वारा उसके ही व्यय पर खनित क्षेत्र का उद्धारण खनन की प्रक्रिया के साथ-साथ किया जाएगा।	वन क्षेत्र में खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना (NCL board approved mining plan) के अनुसार ही किया जा रहा है तथा खनित क्षेत्र का उद्धारण खनन की प्रक्रिया progressive mine closure plan के अनुसार किया जा रहा है ।
6.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।	मान्य है। प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सिर्फ कोयला खनन एवं उससे संबन्धित कार्यों के लिए किया जा रहा है।
7.	कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नयी दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।	7.5 एम.टी.पी.ए. कोयला उत्पादन के लिए पर्यावर्णीय स्वीकृति MoEF द्वारा पत्रांक संख्या J-11015/49/ 2011 IA.II(M) दिनांक - 06.08.2014 को प्राप्त कर ली गई है।
8.	यदि लागू हो तो, वायु तथा जल अधिनियमों के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति खनन कार्यों के शुरू होने से पहले प्राप्त की जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराया जाएगा । नियमानुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /	वायु तथा जल अधिनियमों के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति खनन कार्यों के शुरू होने से पहले प्राप्त कर ली गयी है तथा प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराया

(मनोज मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

GENERAL MANAGER
BINA PROJECT

अनुलग्नक-5

	राज्य पर्यावरण विभाग के परामर्श के अनुसार लीज़धारक द्वारा सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाएगा ।	
9.	वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अवधि राज्य सरकार के खनन नियमों के अनुसार नवीनीकृत लीज़ अवधि के समस्पर्शी होगी ।	मान्य है ।
10.	लीज़ क्षेत्र के अन्दर व आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लगाई गई अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।	मान्य है । लीज़ क्षेत्र के अन्दर व आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

BinaExtn. Project 21.61 Ha Forest land in U.P.
Stage -1 Clearance 8-B/U.P./05/11/2004/FC/1940 dtd: 31.03.2005
MoEF Conditions & its compliance:

क्र॰	शर्तें	अनुपालन आख्या
1.	याचक विभाग प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 43.22 हे॰ मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग में जमा करेगा ।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रुपये 18,05,645.00 दिनांक 28.09.2005 को जमा कर दिया गया है।
2.	सुरक्षा ज़ोन की देख-रेख व संरक्षा की जाएगी तथा सुरक्षा ज़ोन क्षेत्र के डेढ़ गुने अवनत वन क्षेत्र में लीज़ धारकों के व्यय पर वन विभाग द्वारा अन्यत्र वृक्षारोपण किया जाएगा ।	सुरक्षा जोन में डेढ़ गुणे क्षेत्र का अवनत क्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रुपये 92,747.00 वर्ष 2006 में दे दिया गया है।
3.	लीज़धारकों के व्यय पर खनन लीज क्षेत्र का सीमांकन आर॰सी॰सी॰ खंभों द्वारा किया जाएगा जिसपर क्रम संख्या, बियरिंग तथा निकटतम खभों से दूरी अंकित की जाएगी।	सीमांकन एवं आर.सी.सी. पिलर का खर्च रुपये 18,493.00 वन विभाग को दिया जा चुका है।
4.	कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नयी दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।	7.5 एम॰टी॰पी॰ए॰ कोयला उत्पादन के लिए पर्यावर्णीय स्वीकृति MoEF द्वारा पत्रांक संख्या J-11015/49/ 2011 IA.II(M) दिनांक 06.08.2014 को प्राप्त कर ली गई है।
5.	राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दंडात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उप वन संरक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ।	यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। (मनमोहन मिश्र) प्रभागीय वनाधिकारी, रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

GENERAL MANAGER
BINA PROJECT

अनुलग्नक-5

6.	याचक विभाग माननीय उच्चतम नन्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 मे शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की निर्धारित राशि संबंध कोष मे जमा करेगा ।	दिनांक 29.09.2005 को डी.डी. संख्या 129658 द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रु. 1,98,81,200 को सी.एफ. - लखनऊ में जमा कर दी गई है।शेष कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
7.	प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति जारी होने के 6 माह के भीतर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किए गए क्षेत्र को आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित जायेगा ।	यह कार्य उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा किया जाना है ।

29/09/2022

Asst. Mgr. (Env.)
Bina Project

Area General Manager
Bina Project

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र